

पंजीकृत सं. डी.एल. (एन)-04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र

साप्ताहिक

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, 3 सितंबर - 9 सितंबर, 2011 (12 भाद्र, 1933)
(सांविधिक निकायों द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, विज्ञापनों और सूचनाओं सहित विविध
अधिसूचना)

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 12 जुलाई 2011

अधिसूचना सं. भुनिप्रवि .सीएचडी सं. /75/04.07.01/2011-12

भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विनियमावली, 2011

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप धारा (2) के खंड (ख) तथा (च) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 में निम्नलिखित संशोधन कर रहा है- :

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - :

(i) इस विनियमावली को भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विनियमावली, 2011 के नाम से जाना जाए.

(ii) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी.

2. संशोधन-

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 में विनियम 5 के अंतर्गत, अनुसूची में, मद सं. 9 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा - :

9". चैक ट्रंक्शन प्रणाली (सीटीएस) के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश संबंधित प्रणाली प्रदाता के लिए बैंक द्वारा अनुमोदित"

(जी. पद्मनाभन)

कार्यपालक निदेशक

Director